

आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण  
प्रकरण संख्या 03/2024 (धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन)  
मणिमवनम होम फाइनेन्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- 10, ट्रॉपिकल ड्राइव, एम जी रोड,  
घिंटोरनी, नई दिल्ली।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्रीमती मन्जू देवी पत्नी श्री घनश्याम शर्मा,
2. श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री ओंकार शर्मा,
3. श्री धर्मेन्द्र शर्मा पुत्र श्री घनश्याम शर्मा,  
पता:- ढाणी धरनायत, बांसखोह, जयपुर।
4. श्री जितेन्द्र कुमार मीणा पुत्र श्री माधोलाल मीणा,  
पता:- लेडी वालों की ढाणी, धरनायत, बांसखोह, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation  
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement  
of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :-

1. श्री अरविन्द कुमार कुमावत, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.01.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.04.2022 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री धर्मेन्द्र शर्मा के स्वामित्व की आवासीय संपत्ति खसरा संख्या 688 रकबा 1.1001 हैक्टेयर में हिस्सा 1/5 संपूर्ण में से आवासीय भू-खण्ड, ग्राम बांसखोह, पटवार हल्का बांसखोह, तहसील बस्सी, जयपुर, क्षेत्रफल 240 वर्गगज को बन्धक रख कर 07,50,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.10.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्र किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।


पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 07,50,000/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन


जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 08,72,075.50/- रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 16.10.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्री धर्मेन्द्र शर्मा के स्वामित्व की आवासीय बंधक संपत्ति खसरा संख्या 688 रकबा 1.1001 हैक्टेयर में हिस्सा 1/5 संपूर्ण में से आवासीय भू-खण्ड, ग्राम बांसखोह, पटवार हल्का बांसखोह, तहसील बस्सी, जयपुर, क्षेत्रफल 240 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।  
आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
 (प्रकाश राजपुरोहित)  
 जिला मजिस्ट्रेट  
 (खसरा) कब्जा (बन्धक)